निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1938 (श0)
(सं0 पटना 587) पटना, सोमवार, 11 जुलाई 2016

सं0 2/सी0–1066/2008 –सा0प्र0—**9119**

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जून 2016

मो0 तनवीरूल कमर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 989/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी –सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियां को निगरानी विभाग के धावादल द्वारा दिनांक 15.05.2008 को 50,000/– (पचास हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या 028/08 दिनांक 15.05.2008 दर्ज किया गया।

2. पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग के पत्रांक 529 दिनांक 19.05.2008 द्वारा प्रतिवेदित उपर्युक्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6332 दिनांक 11.06.2008 द्वारा दिनांक 15.05.2008 के प्रभाव से श्री कमर को निलंबित किया गया।

3. श्री कमर को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री कमर के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1079 दिनांक 02.02.2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके संदर्भ में मो0 कमर के पत्रांक–शून्य दिनांक 05.03.2010 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. श्री कमर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2099 दिनांक 21.02.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 369 दिनांक 29.07.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कमर के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 11565 दिनांक 10.08.2015 द्वारा मो0 कमर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के संगत प्रावधानों के तहत प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में अभ्यावेदन की मांग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक 13934 दिनांक 14.09.2015 द्वारा श्री कमर को एतदर्थ स्मारित भी किया गया।

6. श्री कमर के पत्रांक 1986 दिनांक 10.09.2015 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में श्री कमर का कहना है कि उनके द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27.01.2015 को एक परिवाद समर्पित किया गया था जिसका विषय ''विभागीय कार्यवाही सं0–09/11 में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए निष्पक्ष जाँच न कर एकतरफा कार्रवाई किये जाने के विरूद्ध हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने के संबंध में'' था। उक्त परिवाद के आलोक में संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्रांक 6/आ0–11/2015 सा0प्र0–11810/दिनांक 12.08.2015 द्वारा उनसे परिवाद पत्र की लिखित सम्पुष्टि तथा शपथ पत्र की मांग की गयी। उनके द्वारा लिखित सम्पुष्टि एवं शपथ पत्र उनके पत्रांक 1905/रा0 दिनांक 26.08.2015 द्वारा ऑन लाइन एवं निबंधित डाक से उपलब्ध करा दिया गया है। अतः उनके परिवाद पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही उनके द्वारा यथानिदेशित अभ्यावेदन समर्पित किया जाना उपयुक्त होगा।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–03 में वर्णित विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में दाखिल अतिरिक्त दस्तावेजों में से जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–3.10, 3.16, 3.21, 3.23, 3.50, 3.38 एवं 3.39 पर अंकित 07 दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु उक्त दस्तावेजों की प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया गया है।

उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उनके परिवाद पर निर्णय लेने तथा वांछित 07 दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उनसे अभ्यावेदन की मांग की जाय। उनके द्वारा अंत में यह भी कहा गया है कि ''वैसे भवदीय फिर भी यदि अधोहस्ताक्षरी से अभ्यावेदन चाहें, तो एक पक्ष का समय देते हुए मुझसे अभ्यावेदन की मांग करेंगे, मैं अभ्यावेदन ससमय समर्पित कर दूँगा। इस पत्र के बाद मैं आपके अगले पत्र की प्रतीक्षा में हूँ।''

7. श्री कमर के उक्त वर्णित अभ्यावेदन में निहित अनुरोध के आलोक में विभागीय **पत्रांक 17709 दिनांक 23.12.2015** द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित फोल्डर से उनके द्वारा वांछित सभी सात अभिलेखों की छायाप्रति उन्हें उपलब्ध कराते हुए 15 दिनों के अन्दर अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 495 दिनांक 13.01.2016 द्वारा श्री कमर को स्मारित भी किया गया।

8. उक्त वर्णित विभागीय पत्रांक 17709 दिनांक 23.12.2015 के प्रसंग में श्री कमर के पत्रांक 95/रा0 दिनांक 14.01.2016 द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उनके द्वारा कहा गया है कि–*''उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अधोहस्ताक्षरी को अपना अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। इस संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1986/रा0 दिनांक 10.09.2015 द्वारा विभाग से यह अनुरोध किया गया था कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा समर्पित परिवाद पत्र दिनांक 27.01.2015 पर विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई किये जाने के पूर्व विभागीय कार्यवाही सं0 09/11 में संचालन पदाधिकारी के अंतिम जाँच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन समर्पित करना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। परन्तु उक्त परिवाद पत्र पर जाँच एवं अग्रेतर कार्रवाई किये बिना अधोहस्ताक्षरी से अभ्यावेदन की मांग की गई है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसका टोकन नं0*

3530/2016 है एवं मेरे अधिवक्ता, श्री गौतम केजरीवाल द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जो इस पत्र के साथ अनुलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने तथा विभागीय कार्यवाही सं0 09/11 में संचालन पदाधिकारी के अंतिम जाँच प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्रवाई को स्थगित रखने की कृपा की जाय।''

9. उक्त वर्णित स्थिति में मो0 कमर द्वारा वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर उनके द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में विहित प्रक्रिया पूरी करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त **सेवा से बर्खास्तगी का दंड** अधिरोपित किये जाने का विनिश्चय किया गया। उक्त विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक 3844 दिनांक 14.03.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की अपेक्षा की गयी।

10 इस बीच मो0 कमर द्वारा उक्त वर्णित विभागीय कार्यवाही संख्या 09/11 में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं किये जाने के अनुरोध के साथ माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1530/2016 दायर किया गया, जिसमें उनके द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 27.01.2015 पर विचारण किये बिना विभागीय कार्यवाही में अग्रेतर कार्रवाई पर रोक लगाने तथा प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु निर्गत विभागीय पत्रांक 13934 दिनांक 14.09.2015 एवं 17709 दिनांक 23.12.2015 को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2016 को न्यायादेश पारित किया गया है। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"..... In view of limited prayer, the writ petition is disposed of with direction to respondent no. 2 to dispose of petitioner's representation within a period of one month from the date of receipt or production of a copy of this order. It is made clear that the Court has not gone into the merits of the case."

11. मो0 कमर के पत्रांक 851 दिनांक 22.04.2016 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा पारित न्यायादेश को संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध कराया गया।

मो0 कमर द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 27.01.2015 में विभागीय कार्यवाही संख्या 09/11 के संचालन में जाँच के क्रम में अभिलेख में उभर कर सामने आये महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए विभागीय जाँच आयुक्त पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए एकपक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। अभ्यावेदन में उनका कहना है कि :–

(i) प्री–ट्रैप मेमोरेन्डम, पोस्ट ट्रैप मेमोरेन्डम एवं घटना आदि के विषय पर परिवादी की गवाही नहीं करायी गयी है फलतः परिवादी की पूर्ण गवाही, जो कि न्याय हित में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(ii) विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर से परिवादी के बयान को हू–ब–हू न लिखवाकर तोड़–मरोड़कर लिखवाया गया और बयान अभिलिखित हो जाने के पश्चात बयान के सिक्वेंस को रैंडमाईज कर दिया गया और कुछ प्रश्नों को अपनी ओर से उसमें जोड़कर अपनी इच्छानुसार उनका उत्तर भी लिखवा दिया गया तथा परिवादी के बयान को पढ़ने का अवसर दिये बिना good faith में गवाही के पृष्ठों पर उनसे हस्ताक्षर करवा लिया गया है।

(iii) पुलिस उपाधीक्षक–सह–धावा दल प्रभारी एवं सत्यापनकर्त्ता–सह–पुलिस निरीक्षक की गवाही में विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा Indian Evidence Act के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गवाहों से प्रतिपरीक्षण में मौखिक प्रश्न पूछने के बजाय लिखित प्रश्न पूछने का निर्णय लेते हुए लिखित प्रश्नावली तैयार कर लाने का आदेश दिया गया, जिसके संबंध में उनके द्वारा लिखित आपत्ति देते हुए एतराज जताया गया एवं मौखिक प्रतिपरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया, लेकिन विभागीय जाँच आयुक्त के द्वारा उन्हें डाँट–फटकार किया गया तथा धमकी दी गयी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दो लाईन में आपके विरूद्ध आरोप प्रमाणित कर विभाग को भेज दिया जायेगा।

(iv) लिखित प्रश्नावली के आधार पर एक ही समय में परिवादी के पुत्र, राम दयाल सिंह एवं राशिद इमाम, पुलिस, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की प्रतिपरीक्षा अलग–अलग कमरे में करायी गयी। परिवादी पुत्र, राम दयाल सिंह की प्रतिपरीक्षा उनके समक्ष करायी गयी, लेकिन राशिद इमाम, पुलिस की प्रतिपरीक्षा दूसरे कमरे में उनकी अनुपस्थिति में करायी गयी। परिवादी पुत्र की प्रतिपरीक्षा के अन्तिम पृष्ठ पर विभागीय जाँच आयुक्त ने स्वयं ही प्रश्न बनाये एवं स्वयं ही उन प्रश्नों का उत्तर अपनी ओर से लिख डाले।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मो0 कमर के द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में हस्तक्षेप कर न्यायसंगत निर्णय लेने हेतु अनुरोध किया गया है।

12. मो0 कमर के अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी से अभ्यावेदन मांगे जाने का प्रावधान है। इस क्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों एवं साक्ष्यों पर समुचित विचार करने के उपरान्त ही अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। विभागीय कार्यवाही के संचालन में यदि संचालन पदाधिकारी के द्वारा कहीं प्रक्रियात्मक चूक हो जाती है अथवा नियम से परे जा कर जाँच की कार्रवाई की जाती है एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने अभ्योवदन में तथ्यों/साक्ष्यों के साथ इसका उल्लेख किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी के अभ्यावेदन के सम्यक समीक्षोपरांत ही निर्णय लिया जाता है।

यदि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान आरोपित पदाधिकारी के द्वारा संचालन पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप लगाये जाने लगे एवं उन आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान ही प्रशासी विभाग/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया जाने लगे अथवा हस्तक्षेप किया जाने लगे तो किसी भी संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर निष्कर्ष अंकित कर पाना संभव नहीं हो सकेगा। अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा दिया गया इस प्रकार का निदेश/हस्तक्षेप अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया में विधि प्रतिकूल हस्तक्षेप होगा तथा इससे विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया vitiate हो जायेगी।

13. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 कमर के अभ्योवदन दिनांक 27.01.2015 को विभागीय आदेश ज्ञापांक 7036 दिनांक 17.05.2016 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

14. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 685 दिनांक 02.06.2016 द्वारा मो0 कमर के विरूद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

15. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.06.2016 में मद संख्या 05 के रूप में विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृत प्राप्त की गयी।

16. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग एवं मंत्रिपरिषद से प्राप्त सहमति के आलोक में मो0 तनवीरूल कमर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 989/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड विकास

पदाधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता–सह– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियां को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (xi) के तहत ***सेवा से बर्खास्तगी का दंड*** दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति मो0 तनवीरूल कमर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 989/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता–सह– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, पूर्णियां एवं सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 587–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in